भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 254

जिसका उत्तर मंगलवार, 21 जुलाई, 2026/30 आषाढ़, 1948 (शक) को दिया गया

हाशिए पर रहने वाले समुदायों का वित्तीय समावेशन

254: श्रीमती राजाथी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय विभिन्न समुदायों, जिसमें धार्मिक समुदाय भी शामिल हैं, के बीच वित्तीय समावेशन में असमानता से अवगत है; और

(ख) मुसलमानों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) एवं (ख) सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और हाशिए पर रहने वालों और वंचित समुदायों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए बैंकिंग, ऋण और बीमा सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से अगस्त, 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) अर्थात प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का शुभारंभ किया ताकि बैंकिंग से वंचित परिवारों तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करना, असुरक्षित लोगों को सुरक्षा देना और वित्तपोषण से वंचित को वित्तपोषित करना जैसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक परिवार के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। समुदाय-वार आंकड़ों का रखरखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। इसके अलावा, एनएमएफआई के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को शामिल करने का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. पीएमजेडीवाई के अंतर्गत, दिनांक 01.07.2026 तक 3,08,333 करोड़ रुपये की जमा राशि के साथ कुल 58.63 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं। इनमें से 32.68 करोड़ (55.74%) जन-धन खाते महिलाओं के हैं और लगभग 45.62 करोड़ (77.80%) पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं;
ii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत, किसी भी कारण से मृत्यु के लिए 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर का प्रावधान करने के लिए 27.84 करोड़ संचयी नामांकन (दिनांक 01.07.2026 तक) किए गए हैं;
iii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत, 58.78 करोड़ संचयी नामांकन (दिनांक 01.07.2026 तक) क्रमशः 2 लाख रुपये (मृत्यु या स्थायी पूर्ण निशक्तता) और 1 लाख रुपये (स्थायी आंशिक निशक्तता) का एक वर्ष का दुर्घटना कवर का प्रावधान करने के लिए किए गए हैं;
iv. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत, पात्र अभिदाताओं को मासिक पेंशन का प्रावधान करने के लिए 9.29 करोड़ संचयी नामांकन (दिनांक 30.06.2026 तक) किए गए हैं;
v. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत, कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन कार्यकलापों के लिए सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को 20 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत वित्त का प्रावधान करने के लिए 41.71 लाख करोड़ रुपये की राशि के 59.14 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं (दिनांक 26.06.2026 तक);
vi. स्टैंड-अप इंडिया योजना (एसयूपीआई) के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 62,790 करोड़ रुपये की राशि के 2.75 लाख संचयी ऋण स्वीकृत किए गए हैं (दिनांक 31.03.2025 तक)|

*****